न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 51/25

जीसीएमएस : 2025/497

1. अंग्रेज सिंह पुत्र श्री होशियार सिंह जाति जटसिख निवासी 22 पी.टी.डी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)। —:प्रार्थी

बनाम

1. डूंगर सिंह पुत्र श्री गुन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी 22 पी.टी.डी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
2. जगिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी 22 पी.टी.डी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—:अप्रार्थीगण

<u>ार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:— 15.10.2025

उपस्थित अधिवक्तागण:—

1. श्री अवतार सिंह बराड़ प्रार्थी अधि.।
2. श्री मोहनलाल बाना अप्रार्थी अधि. सं 1 व 2

दिनांक:— 27.02.2026

——निर्णय——

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 22 पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 03, मु.नं. 28 प.नं. 295/354 के किला नं. 11—12—13 सालम कुल 0.759 है0 कमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व कब्जा काश्त है। वाके चक 22 पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 03, मु.नं. 28 पं.नं. 295/354 के किला नं. 11—12—13 सालम कुल 0.759 है० कमाण्ड भूमि में प्रार्थी की भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से वाके चक 22 पीटीडी बी के मु0नं0 28 पं०नं0 295/354 के किला नं. 1/1, 2/2, 3/1, 4/2, 5/1 में 0.990 है. कमाण्ड भूमि व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से चक 22 पीटीडी बी के खाता संख्या 16/44 मु0नं0 28 पं0नं0 295/354 के किला नं. 7/2, 8—9—10 में 0.990 है० कमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी को अपनी भूमि चक 22 पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 3 मु0नं0 28 पं०नं0 295/354 के किला नं. 11 में प्रवेश हेतु रास्ते की आवश्यकता है, प्रार्थी को मु0नं0 28 के किला नं. 11 में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के किला नं. 1/1 में 2 बिस्वा व अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि किला नं. 10 में 2 बिस्वा रास्ता की आवश्यकता है, पूर्व में रास्ता [illegible] अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बन्द कर दिया गया, इसलिए प्रार्थी को [illegible] में आने—जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि मु0नं0 28 के किला नं. [illegible] में 2—2 बिस्वा रास्ता की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थी के पास अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार राजस्व को भू[illegible] धारक होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:38:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

पत्र श्रीमान् न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है व उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि जोत चक 22 पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 3 मु०नं० 28 पं०नं0 295/354 के किला नं. 11 में प्रवेश हेतु रास्ते की आवश्यकता है, प्रार्थी को मु0नं0 28 के किला नं. 1/1 व 10 में से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि को काश्त करने जाने हेतु अन्य मार्ग का अभाव है, चाहा गया रास्ता अतिआवश्यक है, प्रार्थी चाहे गये रास्ते के अनुपात में निर्धारित प्रतिकर का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को करने के लिए तैयार है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में रास्ते को विधिवत स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1–2 की तरफ से मोहनलाल बाना ने वकालतनामा पेश किया। जबाब प्रार्थना पत्र पेश न कर कथन किया किया कि अगर रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी अप्रार्थीगण को भूमि देने पर सहमत है तो प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जावे तो अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2026/195 दिनांक 12.02.2026 से उक्त प्रकरण के संदर्भ में मौका जांच रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट वाके चक 22 पीटीडीबी प०न0 295/354 मु0न० 28 के किला न0 11 ता 13 कुल 0.759 है० कमाण्ड भूमि अंग्रेजसिंह पुत्र होशियारसिंह जाति जटसिख साकिन 22 पीटीडी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण के नाम चक 22 पीटीडीबी प०न0 295/354 मु0न0 28 के किला न0 1/1/0.227. 2/2/0240, 3/1/0240, 4/2/0.240, 5/1/0.043 कुल 0.990 है० कमाण्ड भूमि डूंगरसिंह पुत्र गुन्तासिंह जाति जटसिख तथा इसी मु0न0 28 के किला न0 1/2/0.026, 2/1/0.013, 3/2/0.013. 4/1/0.013 कुल 0.065 है० जगिन्द्रसिंह पुत्र गुन्तासिंह हिस्सा 1/3. डूंगरसिंह पुत्र गुन्तासिंह हिस्सा 1/3. बलजीतसिंह पुत्र होशियार सिंह जाति जटसिख साकिन देह तथा किला न० 7/2/0.231, 8 ता 10 सालम कुल 0.990 है० कमाण्ड भूमि जगिन्द्रसिंह पुत्र गुन्तासिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। प्रार्थी द्वारा अपने रकबे में आवागमन हेतु चक 22 पीटीडीबी के मु0न0 28 के किला न० 1 व 10 में दो–दो बिस्वा रास्ता की मांग की है। मुताबिक रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक चक 22 पीटीडीबी के मु0न0 28 के किला न० 1 व 10 में दो–दो बिस्वा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का है। अतः चक 22 पीटीडीबी के मु0न0 28 के किला न० 1 व 10 में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित हैं।

4. बहस उपयपक्ष अधिवक्ता सुनी गयी। वकील [illegible] प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौराया और चाहा गया रास्ता स्वीकृत [illegible] जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1–2 की तरफ से अधिवक्ता [illegible] प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अगर [illegible] द्वारा अप्रार्थीगण को रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि देता है तो प्रार्थी द्वारा चाहा गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:38:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

रास्ता न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण कोई एतराज नहीं है।

5. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व समझकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास अपनी जोत में आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को स्वीकृत करने की अनुशंषा भी गई है अप्रार्थी सं. 1–2 ने प्रार्थी को चाहा गया रास्ता स्वीकृति पर सहमति दी है प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिए अन्य रास्ता भी नहीं है चाहा गया रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता की श्रेणी में है। प्रार्थी के पास इसके अलावा अपनी जोत में आने–जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत स्वीकार किया जाना उचित हैं।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर चक 22 पीटीडीबी के मु0न0 28 के किला न० 1 व 10 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा **गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।** अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी के चक 22 पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 03, मु.नं. 28 प.नं. 295/354 के किला नं. 11–12–13 सालम कुल 0.759 है0 कमाण्ड भूमि में से रास्ता में आने वाली भूमि के बदले कुल 4 बिस्वा भूमि कम कर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करें इसके उपरान्त गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:38:50 IST
Reason: SelfAttested